
# Guidelines on Classification as Special Mention Account (SMA) and Non-Performing Asset (NPA)



As per RBI's circular on Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances – Clarifications vide circulars DOR.STR.REC.68/21.04.048/2021-22 dated November 12, 2021 and DOR.STR.REC.85/21.04.048/2021-22 dated February 15, 2022 read with Non-Banking Financial Company–Non-Systemically Important Non-Deposit taking Company (Reserve Bank) Directions, 2016 clarified the amended norms of NPA.

Classification as Special Mention Account (SMA) and Non-Performing Asset (NPA) Immediately on default, borrower accounts will be classified as special mention accounts (SMA) as follows



## **REGISTERED OFFICE ADDRESS**

2ND & 3RD FLOOR, B-50, SAHAKAR MARG, LAL KOTHI SCHEME, JAIPUR, RAJASTHAN-302015 **CONTACT DETAILS** 



#### LOANS OTHER THAN REVOLVING FACILITIES:

SMA: Sub- category	Basis for classification - Principal or interest payment or any other amount wholly or partly overdue
SMA-0	Up to 30 days
SMA-1	More than 30 days and up to 60 days
SMA-2	More than 60 days and up to 120 days
NPA	More than 120 days

**Illustration**: If due date of a loan account is March 31, 202X, and full dues are not received before the lending institution runs the day-end process for this date, the date of overdue shall be March 31, 202X. If it continues to remain overdue, then this account shall get tagged as SMA-1 upon running day-end process on April 30, 202X i.e., upon completion of 30 days of being continuously overdue. Accordingly, the date of SMA-1 classification for that account shall be April 30, 202X.

Similarly, if the account continues to remain overdue, it shall get tagged as SMA-2 upon running day-end process on May 30, 202X and if continues to remain overdue further, it shall get classified as NPA upon running day-end process on July 29, 202X.

#### Note:

As per RBI's guidelines, the lending institutions will flag borrower accounts as overdue at the day-end processes for the due date, irrespective of the time of running such processes. The classification of borrower accounts as SMA or NPA shall also be done as part of the day-end process for the relevant date.

\* Any amount due to the lender under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the Lender. If there is any overdue in an account, the default/ non-repayment is reported with the credit bureau companies like CIBIL etc. and the CIBIL report of the customer will reflect defaults and its classification status.

**NPA (Non-performing Assets):** A Loan account is classified as NPA upon failure of the Borrower to pay any EMI for a period of more than 120 days. Once the borrower is classified as NPA, the loan accounts shall remain classified as NPA until the entire arrears of interest and principal are paid in full by the Borrower.

#### **Upgradation of NPA Accounts**

The loan accounts classified as NPAs may be upgraded as 'standard' assets only if entire arrears of interest and principal are paid by the borrower. Partial payment, such as payment of only interest or only one instalment, shall not result in the upgradation of the loan account.



अग्निमों से संबंधित आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार - परिपत्र DOR.STR.REC.68/21.04.048/2021-22 दिनांक 12 नवंबर, 2021 और DOR.STR.REC.85/21.04.048/2021-22 दिनांक 15 फरवरी, 2022, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 ('आरबीआई सर्कुलर') के साथ पठित एनपीए के मानदंडों को संशोधित किया गया।

## परिक्रामी सुविधाओं के अलावा अन्य ऋण:

एसएमए	वर्गीक्रण के लिए आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूर्ण या आंशिक रूप से
(SMA):	अतिदेय
उप-वर्ग	
SMA-0	30 दिनों तक
SMA-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
SMA-2	60 दिनों से अधिक और 120 दिनों तक
NPA	120 से अधिक दिन

उदाहरण: यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 202X है, और ऋणदाता संस्था द्वारा इस तिथि के लिए दिन-समाप्ति प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण देय राशि प्राप्त नहीं होती है, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 202X होगी। यदि यह अतिदेय बना रहता है, तो इस खाते को 30 अप्रैल, 202X को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर SMA-1 के रूप में टैग किया जाएगा, यानी लगातार अतिदेय होने के 30 दिन पूरे होने पर। तदनुसार, उस खाते के लिए SMA-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल, 202X होगी.

इसी तरह, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 202X को दिन-समाप्ति प्रक्रिया चलाने पर SMA-2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे दिन जुलाई 29, 202X के अंत में चलने वाली प्रक्रिया पर NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।.

### टिप्पणी:

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उधार देने वाली संस्थाएँ देय तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रियाओं में अतिदेय के रूप में उधारकर्ता खातों को चिह्नित करेंगी, चाहे ऐसी प्रक्रियाओं को चलाने का समय कुछ भी हो। एसएमए या एनपीए के रूप में उधारकर्ता खातों का वर्गीकरण संबंधित तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भी किया जाएगा।

\* किसी भी क्रेडिट सुविधा के तहत ऋणदाता को देय कोई भी राशि 'अतिदेय' है यदि ऋणदाता द्वारा निर्धारित देय तिथि पर इसका भुगतान नहीं किया जाता है। यदि किसी खाते में कोई अतिदेय है, तो CIBIL आदि जैसी क्रेडिट ब्यूरो कंपनियों के साथ डिफ़ॉल्ट / गैर-चुकौती की सूचना दी जाती है और ग्राहक की CIBIL रिपोर्ट चूक और उसकी वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी।



एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स/NPA): 120 दिनों से अधिक की अविध के लिए किसी भी ईएमआई का भुगतान करने में उधारकर्ता की विफलता पर एक ऋण खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक बार जब उधारकर्ता को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है, तो ऋण खाते तब तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत रहेंगे जब तक कि उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन की पूरी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।

# एनपीए खातों का उन्नयनः

एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' संपत्ति के रूप में केवल तभी अपग्रेड किया जा सकता है जब उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन की पूरी बकाया राशि का भुगतान किया जाता है। आंशिक भुगतान, जैसे कि केवल ब्याज या केवल एक किश्त का भुगतान, ऋण खाते के उन्नयन के परिणामस्वरूप नहीं होगा।

*End of Document*
-------------------